बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0- /2011 745 खाद्य,पटना/दिनांक- 5.2.2011

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपने क्षेत्र में जन-अदालत का आयोजन करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि माननीय विभागीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक- 07.12.2010 को अनुमंडल पदाधिकारियों को आपूर्ति सम्बन्धि शिकायतों की सुनवाई जन-अदालत लगाकर करने का निदेश दिया गया था । आपसे अनुरोध है कि अपने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे अगले एक वर्ष का जन-अदालत का आयोजन संबंधी कार्यक्रम तैयार कर विभाग को भेजें तथा उक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रखंडों में जन-अदालत लगाकर शिकायतों की स्थल पर सुनवाई कर इसका निराकरण तत्क्षण करें । प्रत्येक माह में आयोजित किये गये जन-अदालत तथा उसमें निष्पादित मामले के सम्बन्ध में भी प्रतिवेदन अनुमंडलों से प्राप्त कर विभाग को प्रत्येक माह में भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0- /2011 749 खाद्य,पटना/दिनांक- 5.2.2011

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।